संख्या- जी.आई.140 /77-6-14-02 एनआरआई(वेब)/2014

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग सह
एन.आर.आई. विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ.प्र.।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ :दिनांकः 16 अक्टूबर, 2014

विषय : विदेश स्थित प्रवास कर रहे इमीग्रेन्टस/ प्रवासी भारतीयों के मृत शरीर के पारगमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि अप्रवासी भारतीयों के समस्याओं के निराकरण व प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के द्वारा निवेश आकर्षित कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एन.आर.आई. विभाग (विभागीय कोड संख्या-93) का गठन किया गया है। इस विभाग के द्वारा समस्याओं का निस्तारण व प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु कार्य किया जा रहा है।

2- सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या जेड-11025/260/2014-इमिग दिनांक 17.09.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा विदेश में प्रवास कर रहे भारतीयों के मृत्यु के उपरांत प्रदेश में मृत शरीर को लाने के लिए व्यवस्था निर्धारित करते हुए वेबसाइट www.moia.gov.in में साफ्टवेयर मोडयूल विकसित कर दिनांक 12.8.14 को मोडयूल लॉच किया गया है। इस वेबसाइट व साफ्टवेयर मोडयूल का प्रदेश के जनपद व तहसील स्तर तक प्रचार प्रसार किये जाने का अनुरोध किया गया है जिससे बाहर प्रवास कर रहे इमीग्रेन्टस के मृत होने पर उनके परिवारिक सदस्यों को मृत शरीर के पारगमन में असुविधा न हो सके।

3- भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भगत पत्र दिनांक 17.09.14 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वेबसाइट में मोडयूल व योजना

में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं योजना की प्रतियॉ समस्त जनमानस को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

4- इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए एन.आर.आई सेल, उद्योग बन्धु, 12 सी, मॉल एवेन्यू, लखनऊ-226001 को प्राधिकृत संस्था नामित किया जाता है। सम्पर्क हेतु विवरण निम्नवत् हैः-

दूरभाष- 91-522-2237582, 2237583

फैक्स- 91-522-2238906, 2237345

ई-मेल- info@udyogbandhu.com, nricellup@gmail.com

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- जी.आई.140 (1)/77-6-14-02 एनआरआई(वेब)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि तत्संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासनादेश की 1500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को मुद्रित प्रतियॉ प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इसका समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें।
7. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

16.10.14

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।